मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित

परियोजना क्रियान्वयन इकाई, नर्मदा प्रोजेक्ट परिसर, भवन क्र.1, मूसाखेड़ी, इंदौर (म.प्र.) 452001

(A Govt. of Madhya Pradesh Undertaking)

कं. रजिस्टर्ड कार्यालय –"घ" विंग, द्वितीय तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल

Phone No. : 0755-2579874 Fax : 0755-2579873 Website - www.mpjalnigam.mp.gov.in

Email : gmindore.mpjalnigam@mp.gov.in (Ph. 0731-2712001) **CIN-U41000MP2012SG028798**

क्रमांक 958 / तक. / 2022 / म.प्र.ज.नि. / प.क्रि.ई / इंदौर दिनांक 12/4/22

प्रति,

वनमण्डल अधिकारी
वन विभाग जिला देवास
मध्यप्रदेश

विषय :– **नेमावर समूह जलप्रदाय योजना जिला देवास अंतर्गत ओवरहेड मास्टर बेलसिंग रिजरवायर एवं पम्पिंग मेन बिछाने हेतु वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत भूमि आवंटित करने बाबत्।**

संदर्भ :–
1. इस कार्यालय का पत्र क्र. 1599 दिनांक 24.08.2021।
2. आपका पत्र कमांक 9819 दिनांक 09.12.2021।
3. इस कार्यालय का पत्र क्र. 2544 दिनांक 20.12.2021।
4. आपका पत्र कमांक 10348 दिनांक 29.12.2021।
5. इस कार्यालय का पत्र क्र. 199 दिनांक 21.01.2022।
6. आपका पत्र कमांक 602 दिनांक 31.1.2022।

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के तारतम्य में लेख है कि म.प्र. जल निगम मर्यादित द्वारा क्रियान्वित की जा रही नेमावर समूह जलप्रदाय योजना अंतर्गत वन विभाग की परिसीमा में आने वाले अवयवों के लिए वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत इस कार्यालय द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक 1 द्वारा आवेदन किया था। अनुमति हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही इस कार्यालय द्वारा की जाकर प्रकरण आपके कार्यालय में स्वीकृति हेतु इस कार्यालय के संदर्भित पत्र कमांक 5 द्वारा प्रेषित किया गया था। आपके कार्यालय के संदर्भित पत्र कमांक 6 द्वारा सूचित किया गया कि उपवनमंडल अधिकारी देवास द्वारा प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार कुल प्रभावित वृक्षों की संख्या वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत स्वीकृत वृक्षों की संख्या से अधिक है। अतः उक्त प्रकरण में वनाधिकार अधिनियम की धारा 3(2) के तहत अनुमति दी जाना संभव नहीं है। इस प्रकार के प्रकरणों में वनभूमि व्ययवर्तन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत वन विभाग की वेबसाइट परिवेश पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार इस कार्यालय द्वारा नेमावर योजना अंतर्गत वन विभाग की वेबसाइट परिवेश पर दिनांक 25.02.2022 को आवेदन किया गया है एवं उक्त आवेदन अंतर्गत वन विभाग भोपाल द्वारा बताई गई त्रुटियों का सुधार किया जाकर अनुमति हेतु अपलोड किए गए समस्त दस्तावेज आपके कार्यालय में सत्यापन हेतु प्रस्तुत है जो कि पूर्व में भी प्रस्तुत किए गए थे। अतः निवेदन है कि प्रस्तुत दस्तावेजों को सत्यापित कर अनुमति की कार्यवाही को सुगम बनाने का कष्ट करें।

संलग्न : (1) 4 set of uploaded documents for online permission

(जे.पी. गनोते)
महाप्रबंधक

पृ. क्र. 959 / तक. / 2022 / म.प्र.ज.नि. / प.क्रि.ई / इंदौर दिनांक 12/4/22

प्रतिलिपि –

1. परियोजना निदेशक, म.प्र. जल निगम मर्यादित भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला देवास की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य महाप्रबंधक, म.प्र. जल निगम मर्यादित भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. टीम लीडर, एस.क्यु.सी मेसर्स एम.एस.वी–ई.सी.एस इन्टरनेशनल इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. मेसर्स दारा इंजीनियरिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. 42–ए, अजीत कालोनी, बाल निकेशन स्कूल के सामने रायकाबाग, जोधपुर–342007 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

महाप्रबंधक